



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227458
CG-DL-E-10062021-227458

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2086]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 10, 2021/ज्येष्ठ 20, 1943

No. 2086]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 10, 2021/JYAISTHA 20, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2246(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का धारा 43) की धारा 10 के खंड (46) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, [AAAGC0012M], जो कि अधिनियम 2002 (2003 का 12) के खंड (i) के उपखंड के अन्तर्गत स्थापित एक आयोग है, को कथित आयोग को होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिनसूचित करती है, अर्थात्-

(क) सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्त राशि।

(ख) प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत प्राप्त राशि एवं

(ग) उपरोक्त (क) एवं (ख) पर उपार्जित व्याज आय।

2. अधिसूचना इस शर्त के अधीन प्रभावी होगी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग-

(क) किसी व्यावसायिक क्रिया कलाप में शामिल नहीं होगा।

- (ख) क्रियाकलाप एवं निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेगी, एवं
- (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के वाक्य (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय का रिटर्न फाईल करेगा।
- (घ) रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) में उपलब्ध स्पष्टीकरण के आधार पर लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित करने के साथ चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा एक प्रमाण पत्र की उपरोक्त शर्तें संतोषजनक हैं।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 72/2021/फा. सं.300196/15/2020-आईटी-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2246(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Competition Commission of India' (PAN AAAGC0012M), a Commission established under sub-section (1) of Section 7 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), in respect of the following specified income arising to the said Commission, namely:-

- (a) Amount received in the form of Government grants;
 - (b) Fee received under the Competition Act, 2002; and
 - (c) Interest income accrued on (a) and (b) above.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that Competition Commission of India, -
- (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
 - (d) shall file the Audit report along with the Return, duly verified by the accountant as provided in explanation to section 288(2) of the Income-tax Act, 1961 along with a certificate from the chartered accountant that the above conditions are satisfied.
3. This notification shall apply with respect to the financial years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 and 2025-2026.

[Notification No. 72 /2021/F. No.300196/15/2020-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director,